01/12/24 पत्रावली प्रकरण सुधारण के लिए तहसीलदार के आदेश हेतु पत्र प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आवेदन पत्र का निवेदन किया कि पत्रावली के प्रकरण आपसी राजीनामा हो चुका है। दावा चलाना नहीं चाहते है। लेकिन अदालत की भावना के विरुद्ध कार्यवाही चाहते है। प्रार्थी की पहचान, वकील वर्सेस श्री हरदेवराम द्वारा की गई। अतः वर्तमान के निवेदन पर वाद वर्तमान निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। लिखित प्रतिवाद शुल्क होकर वापस किया जाए।

सुधारराम

उपखण्ड अधिकारी
आसींद